

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 44 / 2002
संस्थित दि.: 11 / 02 / 2002

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोगी

विरुद्ध

राधेलाल पिता दशराथ मर्सकोले, उम्र 35 साल,
जाति गोंड, निवासी सोनगुड्डा थाना रूपझर,
हाल मुकाम मोरिया थाना लामटा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 12 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 का आरोप है कि आरोपी दिनांक 20 / 12 / 2001 को सुबह के 10:30 बजे, थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 158 / 2001 में धारा 376 भा.दं.वि. के आरोप में विधिपूर्वक निरुद्ध होते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा से पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी आरक्षक कामेश्वर एवं चौकी प्रभारी सोनगुड्डा ने आरोपी राधेलाल मर्सकोले को अपराध क्रमांक 158 / 2001 धारा 376 भा.दं.वि. में दिनांक 19.12.2001 को समय 20:10 बजे गिरफ्तार किया और दिनांक 20.12.2001 को आरक्षक कामेश्वर द्वारा आरोपी राधेलाल को अभिरक्षा में मेडिकल परीक्षण के लिये पी.एच.सी. उकवा ले जाया गया, जहां मेडिकल परीक्षण के दौरान आरोपी पी.एच.सी. उकवा से जानबूझकर आरोप से बचने के आशय से अभिरक्षा से भाग गया। फरियादी कामेश्वर की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 159 / 2001 अन्तर्गत धारा 224 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—

- (अ) क्या आरोपी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा भवन आरक्षी केन्द्र उकवा के अन्तर्गत दिनांक 20/12/2001 को सुबह के 10:30 बजे, थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 158/2001 में धारा 376 भा.दं.वि. के आरोप में विधिपूर्वक निरुद्ध होते हुये ऐसी अभिरक्षा से निकल भागा?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी सहदेवराम साहू (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने दिनांक 18.12.2001 को फरियादिया समनाबाई की रिपोर्ट पर से आरोपी राधेलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2001 धारा 376 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर में असल नम्बरी अपराध क्रमांक 158/01 धारा 376 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी को मेडिकल परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा भेजा गया था। आरोपी उपचार के दौरान आरक्षक के अभिरक्षा से भाग गया, जिसका प्रथम सूचना पत्र चौकी उकवा में आरक्षक कामेश्वर द्वारा दर्ज कराया गया।

(07) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कामेश्वर (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 19.12.2001 को चौकी प्रभारी एस.आर.साहू ने आरोपी राधेलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी को मुलाहिजा हेतु उकवा में डॉक्टर प्रदीप गेडाम के पास ले गया था, रात्रि होने के कारण डॉक्टर ने दूसरे दिन आरोपी को लेकर आने को कहा था तो वह दिनांक 20.12.2001 को सुबह 10-20 बजे आरोपी की सीमन स्लाईड निकालने के लिये आरोपी को लेकर गया था।

वह दरवाजे के पास खड़ा था, कुछ देर बाद आरोपी कमरे से नहीं निकला, उसने अन्दर जाकर देखा तो आरोपी कमरे में नहीं था। खिड़की के दरवाजे से आरोपी निकलकर भाग गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनवाया था।

(08) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी शिवनंदन (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 20.12.2001 को पुलिस चौकी उकवा में उसे अपराध क्रमांक 159/01 धारा 224 भा.दं.वि. की केश डायरी प्राप्त होने पर पर उसके द्वारा कामेश्वर की निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। साक्षी गेंदलाल, डॉक्टर प्रदीप गेडाम, कामेश्वर लिल्हारे के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(09) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी श्यामप्रकाश (अ.सा. 4) का कहना है कि दिनांक 20.12.2001 को फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाये जाने पर उसने आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 की शून्य पर कायमी करते की थी। असल कायमी हेतु थाना रूपझर को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 भेजा था, जिसके आधार पर प्रधान आरक्षक प्रीतमसिंह क्रमांक 535 द्वारा असल नम्बरी कायमी करते हुए अपराध क्रमांक 159/01 का अपराध पंजीबद्ध कर असली कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-03 है।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर प्रदीप (अ.सा. 2) का कहना है कि वर्ष 2001 में आरोपी को आरक्षक कामेश्वर पी.एस.सी. सेन्टर में मुलाहिजा हेतु लेकर आया था। स्लाईड बनाने गेंदलाल और कम्पाउंडर आरोपी की सीमन स्लाईड निकालने के लिये सडास तरफ ले गये थे। आरोपी भाग गया, उसे आरक्षक ने आकर बताया था।

(11) अभियोजन साक्षी गेंदलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि वह वर्ष 2001 में उकवा में रहता था। आरोपी उकवा पुलिस से भागकर उनके पास आया था।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। अभियोजन साक्षी डॉक्टर प्रदीप गेडाम (अ.सा. 2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी उसके सामने नहीं भागा एवं साक्षी गेंदलाल (अ.सा. 3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी राधेलाल अस्पताल में अकेले आया था। उसके साथ कोई पुलिस वाला नहीं आया था। आरोपी उसके पास आया और चला गया। आरोपी अस्पताल से

नहीं भागा। आरोपी को पुलिस वाले परीक्षण हेतु नहीं लाये थे। आरोपी पुलिस की अभिरक्षा से भाग निकला इस संबंध में अभियोजन ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। मात्र पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रकरण को बनाये रखने हेतु कथन किये हैं, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचनाकर्ता एवं कायमीकर्ता के कथनों में और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में भी गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी सहदेवराम साहू (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने दिनांक 18.12.2001 को फरियादिया समनाबाई की रिपोर्ट पर से आरोपी राधेलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2001 धारा 376 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर में असल नम्बरी अपराध क्रमांक 158/01 धारा 376 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी को मेडिकल परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा भेजा गया था। आरोपी उपचार के दौरान आरक्षक के अभिरक्षा से भाग गया। किन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे प्रतीत होता हो कि आरोपी अपराध क्रमांक 158/01 में पुलिस अभिरक्षा में था और आरोपी पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला।

(15) अभियोजन साक्षी कामेश्वर (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 19.12.2001 को चौकी प्रभारी एस.आर.साहू ने आरोपी राधेलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी को मुलाहिजा हेतु उकवा में डॉक्टर प्रदीप गेडाम के पास ले गया था, रात्रि होने के कारण डॉक्टर ने दूसरे दिन आरोपी को लेकर आने को कहा था तो वह दिनांक 20.12.2001 को सुबह 10-20 बजे आरोपी की सीमन स्लाईड निकालने के लिये आरोपी को लेकर गया था। वह दरवाजे के पास खड़ा था, कुछ देर बाद आरोपी कमरे से नहीं निकला, उसने अन्दर जाकर देखा तो आरोपी कमरे में नहीं था। खिड़की के दरवाजे से आरोपी निकलकर भाग गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनवाया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में

बताया है कि आरोपी डॉक्टर के साथ में कमरे में गया था। डॉक्टर कमरे में रह गया और आरोपी भाग गया। डॉक्टर ने आरोपी के भाग जाने की सूचना दी थी।

(16) अभियोजन साक्षी डॉक्टर प्रदीप (अ.सा. 2) का कहना है कि वर्ष 2001 में आरोपी को आरक्षक कामेश्वर पी.एस.सी. सेन्टर में मुलाहिजा हेतु लेकर आया था। आरोपी धारा 376 भा.दं.वि. के अपराध में गिरफ्तार किया गया था और सीमन स्लाईड व लिंग हेतु लाया गया था। स्लाईड बनाने गेंदलाल और कम्पाउंडर आरोपी की सीमन स्लाईड निकालने के लिये सडास तरफ ले गये थे। आरोपी भाग गया, उसे आरक्षक ने आकर बताया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी उसके सामने नहीं भागा।

(17) अभियोजन साक्षी गेंदलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि वह वर्ष 2001 में उकवा में रहता था। आरोपी उकवा पुलिस से भागकर उनके पास आया तब आरोपी को हथकड़ी नहीं लगी थी। आरोपी की स्लाईड बनाने हेतु अस्पताल में लाने पर वह भाग गया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी राधेलाल अस्पताल में अकेले आया था। उसके साथ कोई पुलिस वाला नहीं आया था। राधेलाल को हथकड़ी नहीं लगी हुई थी। आरोपी उसके पास आया और चला गया। आरोपी अस्पताल से नहीं भागा। आरोपी को पुलिस वाले परीक्षण हेतु नहीं लाये थे।

(18) अभियोजन साक्षी शिवनंदन (अ.सा. 6) का कहना है कि दिनांक 20.12. 2001 को पुलिस चौकी उकवा में उसे अपराध क्रमांक 159/01 धारा 224 भा.दं.वि. की केश डायरी प्राप्त होने पर पर उसके द्वारा कामेश्वर की निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। साक्षी गेंदलाल, डॉक्टर प्रदीप गेडाम, कामेश्वर लिल्लारे के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(19) अभियोजन साक्षी श्यामप्रकाश (अ.सा. 4) का कहना है कि दिनांक 20.12. 2001 को फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाये जाने पर उसने आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 की शून्य पर कायमी करते की थी। असल कायमी हेतु थाना रूपझर को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 भेजा था, जिसके आधार पर प्रधान आरक्षक प्रीतमसिंह क्रमांक 535 द्वारा असल नम्बरी कायमी करते हुए अपराध क्रमांक 159/01 का अपराध पंजीबद्ध कर असली कायमी की थी, जो प्रदर्श

पी-03 है।

(20) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी सहदेवराम साहू (अ.सा. 5) व शिवनंदन (अ.सा. 6) के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी डॉ.प्रदीप गेडाम (अ.सा. 2) एवं गेंदलाल (अ.सा. 3) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी फरियादी कामेश्वर (अ.सा. 1) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से भी आरोपी दिनांक 20/12/2001 को सुबह के 10:30 बजे, थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 158/2001 में धारा 376 भा.दं.वि. के आरोप में विधिपूर्वक निरुद्ध होते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा से पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे परिलक्षित होता हो कि आरोपी दिनांक 20/12/2001 को पुलिस अभिरक्षा में था और आरोपी पुलिस से भाग निकला।

(21) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनांक 20/12/2001 को सुबह के 10:30 बजे, थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 158/2001 में धारा 376 भा.दं.वि. के आरोप में विधिपूर्वक निरुद्ध होते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा से पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 के आरोप के अन्तर्गत दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

(23) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)